WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04092023-248537
CG-DL-E-04092023-248537

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 511] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 4, 2023/भाद्र 13, 1945
No. 511] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 4, 2023/BHADRA 13, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 652(अ).— केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 11क और धारा 12कक के साथ पठित धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) दूसरा संशोधन नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) में,--

(i) मूल नियम के नियम 2 में, खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु ऐसा अधिकारी प्रबंधन स्तर का कोई अधिकारी होगा ;";

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(ii) मूल नियम के नियम 9 में,--

(अ) उपनियम (3) के खंड (ख) में,--

(क) "पंद्रह" शब्द के स्थान "दस" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) "हकदारी है" शब्दों के पश्चात, "या जो अन्य साधनों के माध्यम से नियंत्रण करता है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ग) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजन के लिए, "नियंत्रण" में प्रबंधन या नीतिगत निर्णय के नियंत्रण का अधिकार सम्मिलित होगा ;';

(आ) उपनियम (10) के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु न्यास की दशा में, रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व यह सुनिश्चित करेगा कि न्यासी, नियम 9 के उपनियम (1) के खंड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट, किसी खाता आधारित संबंध की शुरूआत के समय या जब वह संव्यवहार कर रहा है, अपनी प्रास्थिति को प्रकट करेगा ।"।

(iii) मूल नियम में, नियम 10 के उपनियम (3) के स्पष्टीकरण में, "अद्यतन अभिलेख" शब्दों के पश्चात्, "तथा नियम 3 और नियम 9 के अधीन किए गए किसी विश्लेषण के परिणाम" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. पी-12011/12/2022-ईएस सेल-डीओआर]
मनोज कुमार सिंह, निदेशक (मुख्यालय)

टिप्पण--मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 444(अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 को प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 1074(अ), तारीख 07 मार्च, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2023

G.S.R. 652(E).— In exercise of the powers conferred by section 73 read with section 11A and section 12AA of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely: —

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Second Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 (hereinafter referred to as the principal rules);-

(i) In the principal rule, in rule 2, after clause (f) the following proviso shall be inserted namely:-

"Provided that such officer shall be an officer at the management level;".

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(ii) In the principal rule, in rule 9;-

(A) in sub-rule (3), in clause (b);-

(a) for the word “fifteen” the word “ten” shall be substituted;

(b) after the word “partnership”, the words “or who exercises control through other means” shall be inserted;

(c) after clause (b), the following Explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation - For the purpose of this clause, “Control” shall include the right to control the management or policy decision;”.

(B) after sub-rule (10), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that in case of a trust, the reporting entity shall ensure that trustees disclose their status at the time of commencement of an account based relationship or when carrying out transactions as specified in clause (b) of sub-rule (1) rule 9.”.

(iii) In the principal rule, in rule 10, in sub-rule (3), in the *Explanation*, after the word “correspondence”, the words “and result of any analysis undertaken under rule 3 and rule 9” shall be inserted.

[F. No.P-12011/12/2022-ES Cell-DOR]

MANOJ KUMAR SINGH, Director (Headquarter)

Note: The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 444 (E), dated the 1st July, 2005 and were last amended *vide* number G.S.R. 1074(E), dated the 07th March, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.